प्रमाण 26 04/S3/06

648

ta 7269

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या-1724/43-2-2006-15/2(2)/03 टी.सी.19
लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (अधिनियम संख्या-22 सन्2005) की धारा-27 की उपधारा(2) के खण्ड (ड.) और (च) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली,2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006 कही जायेगी ।

(2) यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं 2- (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से है;

(ग) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है ;

(घ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किये गये हैं ।

113/SDD/06
U.S.
29.11.06

अपील की विषय-वस्तु 3- आयोग में की गयी अपील में निम्नलिखित सूचना समाविष्ट होगी,अर्थात्

(क) अपीलार्थी का नाम और पता;

(ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिसके विनिश्चय के विरूद्ध अपील की गयी है,का नाम और पता;

(ग) उस आदेश का संख्या सहित,यदि कोई हो, विवरण जिसके विरूद्ध अपील की गयी है ;

(घ) संक्षिप्त तथ्य,जिनके कारण अपील की गयी;

(ङ.) यदि अपील समझी गयी नामंजूरी के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हो तो संख्या और दिनांक सहित आवेदन-पत्र का विवरण और उस राज्य लोक सूचना अधिकारी,जिसको आवेदन किया था,का नाम और पता;

(च) प्रार्थना या मांगी गई राहत;

(छ) प्रार्थना या राहत के आधार;

(ज) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन; और

(झ) कोई अन्य सूचना जिसे आयोग अपील के विनिश्चय के लिए आवश्यक समझे।

(सुनीता चतुर्वेदी)
विशेष सचिव,
दुग्ध विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

दुग्ध विकास विभाग
उ० प्र० शासन
1418/1/06

DS
29/11

अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	4-	आयोग को दायर की गयी प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज
		प्रति संलग्न की जाएगी, अर्थात् :-
	(क)	आदेशों या दस्तावेजों, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, की स्व-प्रमाणित प्रतियां;
	(ख)	उन दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर अपीलार्थी निर्भर है और जो अपील में निर्दिष्ट की गयी है, और
	(ग)	अपील मे निर्दिष्ट दस्तावेजों की अनुक्रमणिका ;
अपील की विनिश्चय प्रक्रिया	5-	अपील का विनिश्चय करने मे आयोग -
	(क)	सम्बन्धित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर या शपथ-पत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य की सुनवाई कर सकता है;
	(ख)	दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों का परिशीलन या निरीक्षण कर सकता है ;
	(ग)	प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अग्रसर ब्यौरा और तथ्यों की जाँच कर सकता है ;
	(घ)	यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिका या ऐसे ज्येष्ठ अधिकारी जिसने पहली अपील का विनिश्चय किया हो या व्यक्ति जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हो, की सुनवाई कर सकता है;
	(ङ)	तृतीय पक्ष की सुनवाई कर सकता है; और
	(च)	राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, ऐसा ज्ये अधिकारी जिसने पहली अपील का विनिश्चय किया हो, ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हो, या तृतीय पक्ष से शपथ-पत्रों पर साक्ष्य स्वीक कर सकता है ।
आयोग द्वारा सूचना की तामील	6-	आयोग द्वारा जारी की जानेवाली सूचना की तामील निम्नलिखित किसी भी रीति में की जा सकती है, अर्थात् :-
	(क)	पक्ष द्वारा स्वयं तामील कराकर;
	(ख)	राज्य/जिला प्रशासन के प्रक्रिया तामीलकर्ता के माध्यम से हस्त (दस्ती) परिदान द्वारा;
	(ग)	पावती देय सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, या
	(घ)	सम्बन्धित कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष द्वारा ।

अपीलार्थी या शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति	7-	(1) यथास्थिति,अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को प्रत्येक दशा में सुनवाई के दिनांक से कम से कम सात स्पष्ट दिन पूर्व सुनवाई के दिनांक के संबंध में सूचित किया जाएगा । (2) यथास्थिति,अपीलार्थी या शिकायतकर्ता आयोग द्वारा अपील या शिकायत की सुनवाई के समय अपने विवेक पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो सकता है या उपस्थित न होने का विकल्प ले सकता है । (3) जहां आयोग का यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण,यथास्थिति,अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को आयोग की सुनवाई में उपस्थित होने में रूकावट उत्पन्न हो रही है,तो आयोग,यथास्थिति,अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को अन्तिम विनिश्चय लेने के पूर्व सुनवाई का एक और अवसर प्रदान कर सकता है या कोई और उचित कार्यवाही,जैसा वह ठीक समझे,कर सकता है । (4) यथास्थिति,अपीलार्थी या शिकायतकर्ता अपील की प्रक्रिया में अपना बिन्दु प्रस्तुत करते समय किसी व्यक्ति की सहायता ले सकता है और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का विधि व्यवसायी होना आवश्यक नहीं है ।
आयोग का आदेश	8-	आयोग का आदेश खुली कार्यवाही में सुनाया जाएगा और वह लिखित रूप में होगा जो रजिस्ट्रार या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित होगा ।

(बी0 एम0 मीना)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-1724(1)/43-2-2006-15/2(2)/03 टीसी19 तद्दिनांक ।

उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त सचिव,भारत सरकार,कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,नई दिल्ली।
2- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त,उत्तर प्रदेश ।
3- अध्यक्ष,राजस्व परिषद,उ0प्र0,लखनऊ ।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन,लखनऊ ।
5- औद्योगिक विकास आयुक्त,उ0प्र0 शासन,लखनऊ ।
6- समाज कल्याण आयुक्त,उ0प्र0 शासन,लखनऊ ।
7- प्रमुख सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
8- प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश ।
9- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन/प्रमुख स्टाफ आफिसर,मुख्यसचिव।
10- प्रमुख सचिव,विधान सभा/विधान परिषद,उ0प्र0 ।
11- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश ।
12- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
13- समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश ।
14- निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।
15- संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी रुपान्त सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को दिनांक-27 नव 2006 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित करने कष्ट करें और अधिसूचना की 2000 प्रतियां प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2,उत्तर प्र सचिवालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
16- संसदीय कार्य अनुभाग-1 ।
17- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
18- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जगदीश लाल श्रीवास्तव)
उप सचिव।